



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218747
CG-DL-E-18032020-218747

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1004]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941

No.1004]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का.आ. 1111(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH19 के किमी 521.251 किमी से 603.94 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH19 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH19 के कि.मी. 521.251 से 603.94 तक	पश्चिम बंगाल	पुरबा बर्धमान	बर्दवान - I जमालपुर	1 मिरछोबा 1 अम्र

[फा.सं. NHAI/PIU-DURGAPUR/NH-19(I)]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O. 1111(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 521.251 to Km. 603.94 of the NH19 for building (widening / Six-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of WEST BENGAL

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH19 in the State of WEST BENGAL.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Magistrate	521.251KM To 603.94KM	WEST BENGAL	PURBA BARDHAMAN	Burdwan - I	1 Mirchhoba
					Jamalpur	1 Amra

[F. No. NHAI/PIU-DURGAPUR/NH-19(I)]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.